DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, मंगलवार, 4 नवंबर 2025 ---------DATED--------------------

एलआईजी-ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की बुकिंग 7 से

डीडीए ने जन साधारण आवास योजना 2025 के दूसरे चरण के तहत 1537 एलआईजी-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों की बुकिंग 7 नवंबर की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। डीडीए की वेबसाइट eservices.dda.org.in पर इन फ्लैटों की बुकिंग कर सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025 --DATED------

Portion of Bharat Vandana Park to open by Dec-end

Vibha.Sharma
@timesofindia.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) is set to open a portion of the much-delayed Bharat Vandana Park in Dwarka Sector 20 by the end of Dec.

Spread over 200 acres, the recreational park has been designed in the form of a lotus, with each of its 10 petals representing a distinct theme and activity zone. The park will feature a cultural arena, adventure and eco zones, art-and-craft corners, local cuisine hubs, lake-view restaurants, and spaces for leisure and performances — all converging around a vast central lake named Vandana Sarovar.

To connect these zones, sky bridges and water canals are being developed to offer scenic views across the park. One of the highlights will be an 18-metre-high Pylon Bridge with a 1.2-km skywalk, supported by nine pylons rising to a height of 40 metres each.

"Deck fabrication is complete, and final touches to civil, horticulture and landscape works are in progress. Testing and commissioning of mechanical, electrical and plumbing systems are also underway," a DDA official said, adding that the authority is focused on ensuring timely completion and strict adherence to safety standards.

Dec 2023 was the initial deadline for completing part of the project. Later, this was moved to March 31, 2025.

Among the spaces or 'lotus petals' expected to open in Dec-end are the meditation zone, Vandana Sarovar, a fun park, lake-view restaurants, congregational area and boating facilities. The fun park will feature animatronic installations. The remaining petals, including the cultural, adventure, pushpkriti (gardens) and eco zones, are scheduled for completion by early 2026. The entire park is likely to open by March next year.

"Once fully operational, Bharat Vandana Park will serve as a major green and cultural hub for Delhi, offering walking and cycling tracks, children's play areas, an amphitheatre, boating facilities and ample parking," the official said, adding that the park is designed to reflect India's cultural, linguistic and geographical diversity.

File Photo

COMING ALIVE! The recreational park is spread over 200 acres

While DDA is the nodal agency, the project is being executed by National Buildings Construction Corporation (NBCC).

The park will have nearly a quarter of its area covered with water bodies, including two restored lakes. "To sustain the extensive water features, DDA will supply 90,000 cubic metres of treated water from an STP to initially fill Vandana Sarovar, followed by 1,000 cubic metres daily for upkeep," said the official.

Rainwater harvesting is also being incorporated through six underground storage tanks of 5,000 cubic metres each. The stored water will help maintain the lake, floating island and the Mini India zone. Moreover, there will be two open-air theatres, 500 KW solar panels and a 1.2km boating track.

Signature View residents to get rent from July 2023

Vibha.Sharma
@timesofindia.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has approved paying facilitation fees from July 2023-26 to the residents of Signature View Apartments, who had to leave their flats after they showed signs of serious damage.

The compensation, mainly to pay the rents, has been set at Rs 50,000 per month for HIG flats and Rs 38,000 for MIG units from July 1, 2023, or from the date of vacating the flat, whichever is later.

The amount will increase annually by 10%, with the first revision on July 1, 2024, followed by increments in July 2025 and July 2026. Residents will receive Rs 55,000 (HIG) and Rs 41,800 (MIG) for 2024 and Rs 60,500 and Rs 45,980 for 2025; and Rs 66,550 and Rs 50,578 for 2026. All arrears will be disbursed by the seventh of the following month.

LG VK Saxena

"We welcome the decision by the LG and DDA to implement Delhi High Court's 2024 order, mandating rent payments with a 10% annual increase. This long-due relief will ease the burden on families who have been paying rent from their own pockets after vacating the flats," said Gaurav Pandey, general secretary of the RWA.

The decision was taken at a meeting chaired by LG VK Saxena, during which several other proposals were cleared too.

These include the redevelopment of the old staff quarters at Safdarjung Development Area and Old Rajinder Nagar, change of land use for land pooling areas and a multi-sports integrated stadium in Narela and its development as an education hub.

The authority also approved Delhi's tallest residential project at Karkardooma under the city's first transit-oriented development (TOD) scheme and extended the enhanced floor area ratio (FAR) policy for planned commercial centres by one year.

Officials, the redevelopment of the staff quarters, built over five decades ago, will replace deteriorated structures with modern housing equipped with upgraded infrastructure. NBCC (India) Ltd is the project management consultant. The redevelopment will follow a self-sustaining financial model, with costs recovered through saleable built-up areas, said officials.

To encourage commercial growth, DDA has extended its 2018 enhanced FAR policy for another year. "The extension will allow stakeholders to utilise the remaining FAR and generate revenue," an official said.

In another decision, DDA has approved the change of land use for 40.23 hectares to allow development under the land pooling policy, notified in Oct 2018 as part of the Master Plan for Delhi-2021. The policy covers 105 urban villages across six planning zones. Sector 8B in Zone P-II has become the first to achieve 70% contiguous pooled land, making it eligible for development. Efforts are on to bring more areas under land pooling.

For the development of TOD areas, the authority has approved various charges payable by the developer for work within the planning area, such as additional FAR.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- Hindustan Times - NEW DELHI THURSDAY NOVEMBER 06, 2025

{ AT BOARD MEETING } CHAIRED BY DELHI L-G

DDA approves rent relief for residents of Signature View

Snehil Sinha

snehil.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday approved the long-awaited rent compensation package for homebuyers in Signature View Apartment in Mukherjee Nagar, which was found structurally unsafe and residents started vacating flats.

The decision was taken in a board meeting chaired by lieutenant governor VK Saxena. The authority also cleared a series of major policy and developmental proposals, including projects in Narela, Karkardooma and Safdarjung.

"The decision ensures that residents are compensated fairly and without further delay. All arrears will be cleared by the seventh of next month in compliance with court orders," a senior DDA official said.

The DDA has approved a facilitation fee in lieu of rent for all residents displaced due to the ongoing redevelopment of Signature View Apartments. High-Income Group flat owners will receive ₹50,000 per month, while Middle-Income Group residents will be entitled to ₹38,000 per month from July 1, 2023, or the actual date of vacation, whichever is later. The rent will see an annual increment of 10%, effective from July 2024, the DDA said.

Residents welcomed the decision. "This long-overdue relief supports residents who've borne rent costs from their own pockets for two years and enables them to secure temporary housing," said Gaurav Pandey, general secretary of the RWA.

Proposals approved

In the meeting, the DDA gave an in-principle nod to redevelop its staff quarters at Safdarjung Development Area and Old Rajinder Nagar, which are suffering structural damage due to five-decade-old wear and tear. NBCC (India) Ltd was appointed the project management consultant to oversee design, construction, and implementation.

The redevelopment plan aims to replace outdated housing with modern, sustainable apartments and upgraded civic amenities. "The project will follow a self-sustaining model, with costs recovered from the additional saleable built-up areas," DDA said.

To develop land pooling areas, DDA approved change of land use for an area measuring 40.23 hectares. The Land Pooling Policy for Delhi was notified in 2018 for 105 urban villages falling in six planning zones.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ हिन्दुस्तान नई दिल्ली, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 ------DATED------

डीडीए की बैठक में विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मिली मंजूरी

कड़कड़डूमा में आवासीय कॉलोनी, नरेला बनेगा शिक्षा का बड़ा केंद्र

हि अच्छी खबर

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में लैंडपूलिंग नीति के विकास के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त कड़कड़डूमा में डीडीए आवासीय योजना (डीडीए टावरिंग हाइट्स) को स्वीकृति दी गई है।

बैठक में सफदरजंग विकास क्षेत्र और ओल्ड राजिंदर नगर में पुराने स्टाफ क्वार्टरों के पुनर्विकास को मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त, नरेला में मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम के विकास के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन और नरेला को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने से जुड़े एजेंडे को भी स्वीकृति दी गई है।

योजनाबद्ध व्यावसायिक केंद्रों के लिए बढ़ी हुई एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) नीति को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में उपराज्यपाल ने डीडीए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और राज्य सरकार के अधिकारियों को सभी लंबित अंतर-विभागीय और अंतर-एजेंसी मुद्दों को तुरंत हल करने का निर्देश दिया।

सौ एकड़ भूमि उपयोग में बदलाव को स्वीकृति : अधिकारियों ने बताया कि डीडीए बैठक में लैंडपूलिंग नीति के विकास के लिए 40.23 हेक्टेयर क्षेत्र यानी लगभग सौ एकड़ भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए मंजूरी दे दी है।

दिल्ली के लिए लैंडपूलिंग नीति को 11 अक्तूबर 2018 की तिथि से दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान के एक भाग के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके नियम 24 अक्तूबर 2018 को अधिसूचित किए गए थे। इस नीति के तहत छह योजनाबद्ध जोन बनाए गए। इसमें के-आई, एल, एन, पी-2, पी-1 और जे जोन दिल्ली के कई स्थानों पर तय किए गए। इन जोन में पड़ने वाले 105 शहरी गांवों में नीति लागू है।

सेक्टर के लिए 70 फीसद भूमि का अधिग्रहण : अधिकारियों ने बताया कि लैंडपूलिंग क्षेत्र को छह योजनाबद्ध जोन के तहत 138 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसमें भूमि का संग्रहीकरण योग्य क्षेत्र लगभग 20,422 हेक्टेयर (लगभग 50,463 एकड़) भूमि है। डीडीए के योजनाबद्ध पी-2 जोन में सेक्टर 8बी पहला सेक्टर है। इसमें 70 फीसदी भूमि को किसानों से बातचीत के बाद उचित नियमों के तहत अधिग्रहित कर लिया है। अब इस सेक्टर की भूमि वितरण योजना में कंसोर्टियम (संघ) का गठन किया जा रहा है।

चार महत्वपूर्ण कदम

1. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है।

2. नई परियोजना के तहत कर्मचारियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान किए जाएंगे।

3. यह योजना स्व-वित्त पोषित मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें खर्च की भरपाई बिक्री योग्य हिस्से से की जाएगी।

4. डीडीए को पुराने क्वार्टरों के पुनर्विकास का अधिकार भी दिया गया है

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट 15 से होगा ध्वस्त

दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 15 नवंबर से शुरू होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जैसी की तरफ से अपार्टमेंट में मौजूद कुल 12 टावरों को चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जाएगा। अपार्टमेंट को नवंबर 2022 में जर्जर घोषित कर दिया गया था।

किराए में हर वर्ष दस फीसदी की होगी वृद्धि

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में किराया राशि को मंजूरी दी गई है। इसके तहत डीडीए प्रशासन सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के एमआईजी फ्लैटों के मालिकों को प्रति महीना 38 हजार रुपये और एचआईजी फ्लैटों के मालिकों को 50 हजार रुपये प्रति महीने देगा। यह किराया राशि एक जुलाई 2023 के बाद फ्लैट को खाली करने की तिथि से फ्लैट मालिकों को प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वर्ष दस फीसदी की किराया राशि में बढ़ोतरी होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- नई दिल्ली, 6 नवंबर, 2025 दैनिक जागरण

डीडीए 50 वर्ष पुराने क्वार्टरों का कराएगा पुनर्विकास

उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय, और भी कई अहम योजनाओं को दी गई मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्रधिकरण (डीडीए) ने सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया एवं ओल्ड राजेन्द्र नगर में बने 50 साल पुराने क्वार्टरों के व्यापक पुनर्विकास को मंजूरी दे दी है। इनमें एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। नई परियोजना के तहत कर्मचारियों को आधुनिक, सुरक्षित व सुविधाजनक आवास दिए जाएंगे। यह योजना स्व-वित्त पोषित माडल पर होगी, जिसमें खर्च की भरपाई बिक्री योग्य हिस्से से की जाएगी। साथ ही डीडीए को ऐसे सभी पुराने क्वार्टरों के पुनर्विकास का अधिकार भी दिया गया है। राजनिवास में एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बोर्ड बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली।

भू-उपयोग परिवर्तन और लैंड पूलिंग पालिसी को बढ़ावा: बैठक में लैंड पूलिंग क्षेत्रों के विकास के लिए 40.23 हेक्टेयर भूमि के भू उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दी गई। यह नीति 2018 में अधिसूचित की गई थी और इसमें छह योजना जोन के अंतर्गत 105 शहरी गांव आते हैं। सेक्टर आठ बी (प्लानिंग जोन पी-II) इस नीति के तहत पहला ऐसा क्षेत्र बना है जिसने 70% लैंड पूलिंग की शर्त पूरी की है। योजना के अनुसार इसमें भूमि का 60% हिस्सा कंसोर्टियम का होगा जबकि 40% हिस्सा डीडीए के नाम रहेगा।

ओल्ड राजेंद्र नगर में बने डीडीए फ्लैट्स • सौजन्य: इंटरनेट मीडिया

नरेला में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम

नरेला उप-नगर के सेक्टर जी-तीन/जी-चार में 30.35 हेक्टेयर (75 एकड़) भूमि पर मल्टी-स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम के निर्माण के लिए भी भू उपयोग परिवर्तन को अंतिम मंजूरी दी गई है। यह स्थल एनएच एक और यूईआर टू (100 मीटर रोड) से जुड़ा होगा, जिससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधा संपर्क रहेगा।

खबर विस्तार से पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 6 नवंबर 2025

DDA स्टाफ क्वॉर्टर का होगा रीडिवेलपमेंट

सबसे पुराने दो स्टाफ क्वॉर्टर के रीडिवेलपमेंट को मिली बोर्ड बैठक में मंजूरी

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

राजधानी में डीडीए के सबसे पुराने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शामिल दो स्टाफ क्वॉर्टर को अब रीडिवेलप किया जाएगा। डीडीए ने पांच दशक पुराने सफदरजंग डिवेलपमेंट एरिया (SDA) और ओल्ड राजेंद्र नगर रेजिडेंशियल (ORL) कॉम्प्लेक्स के रीडिवेलपमेंट को बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी है।

यह दोनों कॉम्प्लेक्स काफी जर्जर हो चुके हैं और इनमें स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल की हालत अब काफी खराब हो चुकी है। रीडिवेलपमेंट के लिए प्रोजक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर एनबीसीसी को नियुक्त किया गया है। इन दो प्रोजक्ट के अलावा डीडीए अपने उन सभी स्टाफ क्वॉर्टर के भी रीडिवेलपमेंट के लिए प्लान तैयार कर रही है जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं। एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई इस बोर्ड मीटिंग में इसके अलावा लैंड पूलिंग पॉलिसी, नरेला के एजुकेशन हब और स्टेडियम के लिए लैंड यूज चेंज, कमर्शल सेंटर के लिए एफएआर पॉलिसी में सुधार जैसी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

पांच दशक पुराना है दोनों स्टाफ क्वॉर्टर

- पांच दशक पुराने सफदरजंग डिवेलपमेंट एरिया और ओल्ड राजेंद्र नगर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का होगा कायाकल्प
- यह दोनों कॉम्प्लेक्स काफी जर्जर हो चुके है और इनमें स्ट्रक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल की हालत काफी खराब हो चुकी है

AI image

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- millenniumpost
NEW DELHI | THURSDAY, 6 NOVEMBER, 2025

DDA approves several key proposals

Authority okays staff housing overhaul, multi-sports complex plan...

NEW DELHI: The Delhi Development Authority has approved several proposals including redevelopment of old staff quarters and construction of a world-class sports infrastructure in Narela, officials said on Wednesday.

At its board meeting, the land owning agency also decided to extend 10 per cent annual escalation fees on rent to residents of soon-to-be-demolished Signature View Apartments in Mukerjee Nagar, they said.

According to the DDA, for annual escalation, the base rent would be Rs 50,000 per month for high-income group allottees and Rs 38,000 for middle income group.

The agency also gave nod for change of land use of an area measuring 40.23 hectares for land polling policy.

> **"To address deteriorating conditions of staff quarters, DDA will revamp Safdarjung Dev Area, Old Rajinder Ngr complexes"**

"Land pooling area is divided into 138 sectors having poolable area of approximately 20,422 hectares. It is the first sector which has achieved 70 per cent contiguous pooled land and become eligible for development under this policy," the DDA said in a statement.

To address the problems of deteriorating conditions of staff quarters, the DDA has appointed NBCC to oversee the revamp of Safdarjung Development Area and Old Rajinder Nagar residential complexes.

"The redevelopment will provide modern, safe, and well-equipped living spaces. NBCC with extensive expertise in government housing projects has been appointed as the Project Management Consultant to oversee the project from concept to commissioning," the DDA added.

In addition to the two projects, the DDA is authorised to take redevelopment of all such staff quarters which have outlived their life, the statement said further.

The agency has also started working on a world-class level sports infrastructure in Narela.

"To facilitate development of a Multi-Sports Integrated Stadium and Sports Complex for hosting national and international events, the authority has given final nod for change of land use of a 30.35-hectare plot in Narela, from commercial and residential to Public and Semi-Public," the statement said.

Now, a gazette notification will be issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs, it added. To promote planned commercial activities in the national capital, the DDA has also extended its policy on enhanced Floor Area Ratio (FAR), originally introduced in 2018 to promote development and optimal land use. PTI

Thursday, November 6, 2025
DELHI
THE HINDU

DDA approves rent with 10% annual hike for residents of SVA

The Hindu Bureau
NEW DELHI

In a relief to residents of Mukherjee Nagar's Signature View Apartments (SVA), the Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday approved rent payments with a 10% annual hike for families who vacated their unsafe homes last year, following a Delhi High Court order.

The DDA cleared rent payments from July 1, 2023, or from the actual date of vacation, whichever is later. According to a statement, residents of high-income group flats will receive ₹50,000 per month, while those in middle-income group flats will get ₹38,000 per month. The rent will increase by 10% annually starting July 1, 2024.

The DDA said all arrears will be disbursed to eligible residents by the 7th of the following month. To streamline the process, a camp office has been set up to handle documentation, flat handovers, and relocation support. "Hundreds of residents have already vacated their flats, and rent payments are being processed as per court directives," it said.

Welcoming the decision, Gaurav Pandey, general secretary of the SVA Welfare Association, said the move finally eases the burden on residents "who have paid rent from their own pockets for two years". The 12-tower complex was declared "structurally unsafe" by IIT Delhi in 2022, prompting the High Court in December 2024 to order its demolition and direct the DDA to compensate the displaced families until their flats are ready.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- पंजाब केसरी DELHI 6 नवम्बर, 2025 ▸ गुरुवार

अमर उजाला
नई दिल्ली | बृहस्पतिवार | 6 नवंबर 2025

कड़कड़डूमा में बनेगा दिल्ली का पहला केंद्रित विकास क्षेत्र, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होगा तैयार

उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बैठक में आवास, खेल, शिक्षा, शहरी ढांचे, पुराने सरकारी क्वार्टरों के पुनर्निर्माण समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। डीडीए ने कड़कड़डूमा में दिल्ली का पहला केंद्रित विकास क्षेत्र (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस योजना का नाम टावरिंग हाइट्स एट ईस्ट दिल्ली हब हाउसिंग स्कीम 2025 रखा है। इस योजना के तहत 1026 फ्लैट बनाए जाएंगे जो सार्वजनिक परिवहन से सीधे जुड़ेंगे।

योजना को ऑनलाइन नीलामी के जरिये लॉन्च किया गया है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इस नीति में मेट्रो स्टेशन से 800 मीटर की सीमा में आने वाले क्षेत्रों में बिल्डरों को अधिक निर्माण क्षेत्र (एफएआर) की सुविधा दी गई है। इसमें मिलने वाली राशि उसी क्षेत्र के विकास में खर्च होगी। डीडीए ने बुधवार को पूरी दिल्ली में विकास को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में नरेला, कड़कड़डूमा, राजिंदर नगर और साउथ दिल्ली जैसे क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से दिल्ली के आवास, खेल, शिक्षा और शहरी ढांचे में बड़ा सुधार होगा। बैठक में उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि डीडीए, नगर निगम और दिल्ली सरकार के सभी विभाग मिलकर काम करें और सालों से लंबित आपसी मामलों का निपटारा जल्द किया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव जल्द एक समन्वय बैठक बुलाएंगे।

नरेला में बनेगा खेल और शिक्षा का केंद्र

- नरेला उप नगरी के सेक्टर जी-3 और जी-4 में करीब 75 एकड़ भूमि पर कई खेलों के लिए मैदान, कोर्ट और प्रशिक्षण केंद्र और खेल परिसर के निर्माण के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी गई। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और हवाई अड्डे से जुड़ा है। यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। सेक्टर जी-7 और जी-8 में करीब 10 एकड़ भूमि पर विधि विकसित करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन को अंतिम मंजूरी दी गई। इससे नरेला को शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक कैंपस, अनुसंधान केंद्र और कौशल विकास संस्थान स्थापित होंगे।

- सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया और ओल्ड राजिंदर नगर में बने पुराने सरकारी क्वार्टरों के पुनर्विकास को मंजूरी दी गई। ये मकान 50 साल से अधिक पुराने हैं और अब जर्जर हालत में हैं। डीडीए इन क्षेत्रों में आधुनिक, सुरक्षित और सौर ऊर्जा सक्षम आवास बनाएगा। यह परियोजना एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की निगरानी में स्ववित्त पोषित मॉडल पर चलाई जाएगी, यानी निर्माण लागत बिक्री योग्य क्षेत्र से पूरी की जाएगी।

ये फैसले भी महत्वपूर्ण

- आईएनए में ढाई एकड़ भूमि को जिला पार्क से बदलकर आवासीय उपयोग के लिए विदेश मंत्रालय को दी गई।
- सागरपुर, द्वारका में पुलिस थाने और आवास के निर्माण के लिए करीब डेढ़ हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई।
- रोहिणी फेज चार-पांच, टिकरी कलां और नरेला के लिए नई तय दरें घोषित की गईं।
- गैर-आवासीय संपत्तियों पर गलत उपयोग शुल्क की गणना के लिए नई दरें तय की गईं।

लैंड पूलिंग नीति को मिली गति

बैठक में लैंड पूलिंग नीति से जुड़े क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई। करीब 40 हेक्टेयर क्षेत्र में यह बदलाव किया जाएगा। यह नीति दिल्ली के 105 शहरी गांवों में लागू है जो छह योजना जोनों में फैले हैं। इनमें से पी-2 जोन का सेक्टर 8बी पहला क्षेत्र है, जिसने 70 फीसदी भूमि पूलिंग हासिल कर ली है, जिससे वहां विकास कार्य शुरू किए जा सकेंगे।

व्यावसायिक केंद्रों के लिए बढ़ी एफएआर नीति : डीडीए ने योजनाबद्ध वाणिज्यिक केंद्रों के लिए बढ़े हुए एफएआर की नीति को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इससे निवेशकों और बिल्डरों को राहत मिलेगी जो पहले इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए थे। यह नीति 2018 में शुरू हुई थी, ताकि दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को राहत

बैठक में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को राहत देने का निर्णय लिया गया। पुनर्विकास के चलते मकान खाली करने वाले निवासियों को किराया भत्ता दिया जाएगा। उच्च आय वर्ग वालों को 50 हजार रुपये प्रति माह और मध्यम आय वर्ग वालों को 38 हजार रुपये प्रति माह किराया दिया जाएगा। यह राशि जुलाई 2023 से लागू होगी और हर साल इसमें 10% की वृद्धि की जाएगी।